राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज दिनांक 11.06.2024 को 100 दिवसीय कार्ययोजना, सीएमआईएस पोर्टल, बजट घोषणा 2024-25 (विभाग अनुसार) की प्रगति हेतु विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न निर्देश प्रदान किये गये:

1. सभी गतिविधियों की कार्ययोजना का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाना है।
2. जहाँ निविदा जारी की जानी हैं उनकी टाईमलाईन सुनिश्चित की जावे।
3. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा माह अगस्त में चालू किये जाने वाले 5 मेडिकल कॉलेज हेतु विस्तृत PERT MAPPING कर मॉनिटरिंग की जावे, जिससे निश्चित समयावधि में संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
4. नवीन ALS का संचालन आगामी दो माह में किया जाना सुनिश्चित करें।
5. दिनांक 29.06.2024 को राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये जाने है।
6. सभी आईईसी सामग्री में जनहितार्थ कुछ संदेश प्रिंट कराये जाने हैं जिसमें जल, बिजली की मितव्ययता, पर्यावरण, सुरक्षा, वृक्षारोपण एवं जल संचयन आदि सम्मिलित हैं।
7. दिनांक 20.06.2024 के पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी विभागों की क्रमवार समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण विभाग से सम्बंधित समस्त सूचनाओं का आवश्यक रूप से संधारण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. मीडिया में आने वाली NEGATIVE NEWS के संबंध में त्वरित कार्यवाही कर रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

Fa2 Gen
Circulate to all concerned
12/6/24

(शुभ्रा सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

समस्त विभागाध्यक्ष,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

क्रमांक : निस/अमुस/चिस्वावि/2024/109
जयपुर, दिनांक : 11.06.2024

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2024/322 दिनांक : 12/06/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त निदेशक/अति. निदेशक/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन राज.।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राज.।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.।
5. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राज.।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/संबंधित को ई–मेल करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।